आवश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांकः— पं0नि0 30—41/2016— 3375

प्रेषक,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी —सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक— 31.8.21

विषयः— पंचायत आम निर्वाचन, 2021; के अवसर पर पर्दानशीं महिला, महिला मतदाताओं की पहचान हेतु महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर वैसे मतदान केन्द्रों पर जहाँ पर पर्दानशीं महिला मतदाताओं की संख्या अत्यधिक थी, के पहचान हेतु महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। विभिन्न जिलों से आयोग को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु ऐसे मतदान केन्द्रों पर महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए।

जिलों से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे मतदान केन्द्रों पर विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 की तरह ही महिला कर्मियों को प्रतिनियुक्ति करेंगे एवं उन्हें पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—1638 दिनांक—12.03.2021 के आलोक में निर्धारित दर से भुगतान किया जाएगा।

अनु0— यथोक्त।

विश्वासभाजन

सचिव

ज्ञापांक— पं0नि0 30—41/2016— 3375 पटना, दिनांक— 31.8.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग में वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक— पं0नि0 30—41/2016— 3375 पटना, दिनांक— 31.8.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक— पं0नि0 30—41/2016— 3375 पटना, दिनांक— 31.8.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

महत्वपूर्ण
बिहार पंचायत आम
निर्वाचन 2021

पत्रांक : 6प/बि0प0नि0–01/2021.1638./पं0रा0

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12/3/2021

विषय : बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चुनाव कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम भुगतान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले कर्मियों को अग्रिम यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान वित्त विभाग से परामर्शित निम्नलिखित सारणी में अंकित दरों के अनुरूप किये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :–

क्र. स.	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य के लिए भुगतान दर	मतदान/ मतगणना के दिनों की संख्या	मतदान/ मतगणना कार्य पर भुगतान दर
1.	पीठासीन पदाधिकारी	तीन	₹500/– प्रतिदिन	तीन	₹500/– प्रतिदिन
2.	मतदान अधिकारी एक एवं दो	तीन	₹375/– प्रतिदिन	तीन	₹375/– प्रतिदिन
3.	मतदान अधिकारी तीन/ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	तीन	₹250/– प्रतिदिन	तीन	₹250/– प्रतिदिन
4.	सेक्टर पदाधिकारी/ जोनल दंडाधिकारी/गश्ती दल दंडाधिकारी	एक	₹500/– प्रतिदिन	एकमुश्त	₹2000/–एकमुश्त
5.	सरकारी चालक	–	-	तीन	₹375/– प्रतिदिन
6.	मतगणना पर्यवेक्षक	एक	₹500/– प्रतिदिन	एक	₹500/– प्रतिदिन
7.	मतगणना सहायक	एक	₹375/– प्रतिदिन	एक	₹375/– प्रतिदिन
8.	मतगणना अनुसेवक	एक	₹250/– प्रतिदिन	एक	₹250/– प्रतिदिन
9.	माइक्रोप्रेक्षक (मतदान हेतु)	एक	₹500/–प्रतिदिन	एक मुश्त	₹2000/–
10	माइक्रोप्रेक्षक (मतगणना हेतु)	एक	₹500/–प्रतिदिन	एक मुश्त	₹500/–

D:\ayaj sir 2019\Bihar panchayat gen election 2021\Letter by OSD Mrinayak Sir.doc

11	पुलिस निरीक्षक / पुलिस अवर निरीक्षक	एक	₹500 / – प्रतिदिन	तीन	₹500 / – प्रतिदिन
12	सहायक निरीक्षक / हवलदार / सिपाही	एक	₹375 / – प्रतिदिन	तीन	₹375 / – प्रतिदिन
13	चौकीदार / दफादार / दलपति / एन0सी0सी0 कैडेट / स्कॉट गाईड्स	एक	₹250 / – प्रतिदिन	तीन	₹250 / – प्रतिदिन
14	गृह रक्षक	–	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता	–	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता
15	राज्य स्तरीय / प्रमंडल स्तरीय / जिला / अनुमंडल स्तर के मास्टर प्रशिक्षक	–	–	एक मुश्त	₹2000 / –
16	पर्दानशी महिलाओं की पहचान हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी	–		एक दिन	₹250 / –

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित हैं।

2. सुरक्षित रखे गये कर्मियो को, निर्वाचन कर्त्तव्य पर आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में, उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

3. मतदान / मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों / सुरक्षा कर्मियों के भोजन / नाश्ते की व्यवस्था हेतु अधिकतम ₹250.00 (दो सौ पचास रूपये) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहाँ ऐसा करना संभव नहीं हो वहाँ ₹250.00 (दो सौ पचास रूपये) मात्र की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति की दर से नकद भुगतान किया जायेगा।

4. मतदान / मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त पुलिस / सुरक्षा कर्मियों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये आवंटन से किया जायेगा।

5. यात्रा व्यय के लिए अग्रिम के रूप में कोषागार से निकासी की गयी राशि का समायोजन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1011 दिनांक–17.02.2009 के अनुसार किया जायेगा।

इसकी सूचना कृपया सभी संबंधितों को दे दी जाये।

विश्वासभाजन

निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 6प / बि0प0नि0–01 / 2021.1638 / पं०रा० पटना, दिनांक 12/3/2021
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना